

**भाग-5**

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-92 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-719) के किमी0 70.500 से 74.500 तक भाग 2 से 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 6.930 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थिति 259 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट एवं राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, आगरा के अन्तर्गत 74.700 से 77.950 तक 2 से 4 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित 3.895 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 1.45 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 6699 पौधों/वृक्षों पातन/ट्रान्सप्लान्ट अर्थात् कुल 12.275 संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/150997/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-311/81-2-2022-800(311)/2022 दिनांक 14 सितम्बर 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

Signed by आशीष तिवारी

हस्ताक्षर

Date: 13-09-2022 19:07:31

Reason: Approved

( )

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

राज्य सरकार, इटावा।